तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-10-23	वादी वकील का निवेदन है कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 53, 88, 207 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का पैतृक आराजी ग्राम खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 550/1, 596 व 601/1 रकबा क्रमशः 1.10 बीघा, 3.16 बीघा एवं 17.04 बीघा कुल रकबा 22.10 बीघा में वादी हिस्सा घोषित करने व अपने नाबालिंग अवस्था में बेनामी बेचान को अपास्त करने वाद तत्कालिन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में पेश होने के बाद नवसृजित न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना में प्रकरण संख्या 223/2015 अनवान हीराराम बनाम प्रतापाराम वगैराह दर्ज होकर वर्तमान में जवाब हेतु विचाराधीन है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में गांव के मौजिज लोगों के मध्य समझाईस द्वारा आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा अदालत के बाहर कर दिया गया है। मौजिज लोगों द्वारा कराये गये राजीनामे के बाद मैं मेरे हक से हिस्से के लिए पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ। इस सम्बन्ध में मैं या मेरी आल औलाद फिर से कोई वाद पेश नही करूगा। अब मैं उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहता हूँ। वाद को जरिये राजीनामा विड्रो करना चाहता हूँ। प्रतिवादीगण वकील को उक्त वाद को जरिये राजीनाम विड्रो किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। हमने पक्षकारान की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई। वादी का वाद जरिये प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर इसी स्तर पर जरिये विड्रो/खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 27.10.23 सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:13 IST
Reason: SelfAttested